

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)


## सेवानिवृत्ति आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा/संस्था/10908/से.नि./हिन्दी-ना.शा./97-98 दिनांक : 09.04.1997 द्वारा क्रम संख्या 32 पर अंकित कार्मिक ओमप्रकाश सिंह ( जन्मतिथि - 05.07.1939, सेवानिवृत्ति तिथि -31.07.1997) व्याख्याता राजनीति विज्ञान के सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किये गये थे। तत्समय कार्मिक ओमप्रकाश सिंह को उपनिदेशक (पुरुष) कोटा के आदेश क्रमांक : शिउनि/को/विजांच/96/801 दिनांक 11.12.1996 द्वारा सीसीए 13(2) के तहत दिनांक 09.12.1996 से निलम्बित किये जाने के कारण विभागीय जांच लंबित थी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/11101/O-001/1997/934 दिनांक : 16.03.2021 द्वारा लंबित विभागीय जांच प्रकरण समाप्त (DROP) हो चुका है।

अतः ओमप्रकाश सिंह सेवानिवृत्त व्याख्याता राजनीति विज्ञान जवाहर लाल नेहरू उमावि कोटा शहर, कोटा के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।



  
(गौरव अग्रवाल)  
आई.ए.एस  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2021-22/79 दिनांक : 26/04/2022  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग .....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.....
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य .....
6. संबंधित कार्मिक .....
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर